राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./SE/DLB/17/सड़क सुरक्षा/ 5984–6175 दिनांक :– 22/7/2018

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः– रोड़ सेफ्टी के व्यापक प्रचार–प्रसार के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त का पत्र रोड़ सेफ्टी के व्यापक प्रचार–प्रसार के क्रम में प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि विश्व में होने वाली कुल दुर्घटनाओं का 10.4% हिस्सा भारत का है। जो कि सर्वाधिक है। अधिक दुर्घटनाओं में राजस्थान राज्य पांचवें स्थान पर है। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है जिसको गम्भीरता से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए विस्तृत निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसको गम्भीरता से लेते हुए राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये है तथा समय–समय पर इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी जारी किये गये है।

सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा डीकेड ऑफ़ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011–2020 की घोषणा की गई थी। इसकी समीक्षा हेतु नबम्वर 2015 में ब्राज़ील में विभिन्न देशों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमे सर्वाधिक मृत्यु दर वाले देशों को 2020 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को 50% कम करने लक्ष्य दिया गया। ब्राज़िलिया डिक्लेरेशन में भारत ने भी अपनी सहमति प्रस्तुत कर दी है।इसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी इसे अपनी सड़क सुरक्षा नीति में भी समाहित कर लिया है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी रोड़ ओनिंग/मेनेजिंग ऐजेन्सीज अपनी सम्बन्धित सड़कों के किनारों पर/डिवांडर पर लगे हुए कॉमर्शियल/नॉन कॉमर्शियल विज्ञापनों के नीचे रोड़ सेफ्टी के स्लोगन/निर्देश प्रसारित करने का प्रावधान रख व क्रियान्वित कराया जाने के निर्देश दिये है।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट परिवहन विभाग की ईमेल आई डी addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान की ईमेल आई डी dlbrajasthan@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी द्वारा जारी निर्देशों की पालना के क्रम में इस माह के अन्तिम सप्ताह से सड़क सुरक्षा ऑडिअ की जा रही है अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
नोडल अधिकारी (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

Scanned by CamScanner

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./SE/DLB/17/सड़क सुरक्षा/6176–6299 दिनांक :– 22/1/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अति.मु.सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग को उनके पत्रांक .... दिनांक 04.01.2018 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. समस्त जिला कलक्टर्स।
6. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता समस्त नगर निगम।
9. अधिशाषी अभियंता, समस्त नगर निगम/परिषद्।
10. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, स्वायत्त शासन विभाग।
11. संयुक्त निदेशक (एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर), स्वायत्त शासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
12. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
नोडल अधिकारी (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

Scanned by CamScanner